

प्रकरण सं ०२/१८
१५/१८

72R
136

2018/00908

DAV
7/12

प्रपत्र-6

“खाता दुरुस्ती आवेदन पत्र”
(रा भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

श्रीमान् उप खण्ड अधिकारी महोदय

चौहटन

विषय :- राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम सुरते का तला की लगानकी

संवत् 2073-76 खाता संख्या 74 में ख.नं. 501, 538, 746 में
1446, 1438, 1443

विरधाराम S/O सुंदाराम नाम सुरते का तला में खाता नं. 74 में ख.नं.
501, 538, 746 में ~~विरधाराम~~ S/O सुंदाराम का नाम राजस्व रेकॉर्ड में
1446, 1438, 1443 में ~~विरधाराम~~ S/O सुंदाराम का नाम राजस्व रेकॉर्ड में
इ-द्वारा है वह गलत है।
सही नाम वारिस में विरधाराम पुत्र सुंदाराम के नाम से राजस्व रेकॉर्ड
में नाम शुद्धि का अग्रिम इरादा करावे। आघाट कार्ड, मतदाता परिचय पत्र
व राशनकार्ड में नाम विरधाराम S/O सुंदाराम के नाम से बना हुआ है।

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

पहचान कार्ड

प्रार्थी
विरधाराम

दिनांक : 11/3/18

जंठी

वेतन...

354/18
(उपस्थित निष्कर्षित)
...



रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

Sis, श्री विरधाराम S/O सुंदाराम कोम रेवारी का मौजा
(पुरे काला) की जमावती क्र. 2073-76 के नाम पर
उसके पुरे पुत्र सुंदार देव है जो गणत है प्राची द्वारा प्रस्तुत
इसका पत्र मायारा पहचान पत्र, आधार कार्ड, वतान कार्ड में विरधाराम
S/O सुंदाराम देव है जो सही है अतः प्राची द्वारा प्रस्तुत आदिम
व मजमे काम में पूरना करने आधार पर प्राची का उक्त नाम
विरधाराम S/O सुंदाराम निमा जाना उचित है

हस्ताक्षर

01-05-18

148 नारायण

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

जी.गणेश
01/05/2018
तहसीलदार

प्राची द्वारा रिपोर्ट व दस्तावेजों के अनुसार

नाम सुद्ध किया जाना उचित है

जी.गणेश
तहसीलदार

तहसीलदार-चौहटण्ड तहसील नारायण पटवारी इका नारायण मठ से प्राप्त जांच
रिपोर्ट व प्राची द्वारा प्राची पत्र के साथ पेश समस्त दस्तावेजों का क्वलिटि
करने से स्पष्ट होता है कि प्राची का प्राची पत्र सही प्रकार योग्य है।
प्राची का नाम बरदा पुत्र सुंदार के स्थान सुद्ध नाम विरधाराम
पुत्र सुंदाराम दुस्त करने का आदेश दिया जाता है उपरोक्त
अनुसार तहसीलदार चौहटण्ड को राजस्व रकड में प्रमल वशमव
करने का आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फंसल सुमार टिकट
दाखिल दफ्तर है।



उपखण्ड अधिकारी
चौहटण्ड